

श. 12/2020

पुत्रुपाय करीकेन उपस्थित / वहस
विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्षात्पान
सुनी गई। अन्तरिम अस्थायी विवेधसा
वादेय दिनांक 15/06/18 को पुष्ट
(confirm) किया जाका उभय पक्षअपन
को अस्थायी विवेधारा से पाबन्द किया
जाता है कि वे विवादित भूमि वाले
ग्राम नौरंगपुर स्थित, जमाबन्दी सम्बन्ध,
2072-75 के खाता संख्या 8 खण
नं. 471 रकबा 0.26 हे० व खाता
संख्या 9 खणनं. 472 रकबा
0.08 हे० भूमि की राफसू रिकार्ड
व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।
निर्णय खुले न्यायालय के द्वारा जमाना
पत्रावली फंसल भुगत व दर्प नम्बरा
कत होडा शस वाद के समाप्त रहे।

उपस्थित अधिकारी
खेतड़ी (मुहल)

